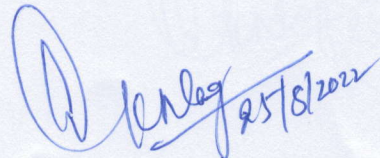


INSTRUCTION FOR P.G. STUDENT & COLLEGES

स्नातकोत्तर में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों/महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर केन्द्रों के लिए नीचे आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

विद्यार्थी/महाविद्यालय के स्नातकोत्तर केन्द्र आवेदन/नामांकन करने के पूर्व इसे डाउनलोड (Download) कर अवश्य पढ़ लें।

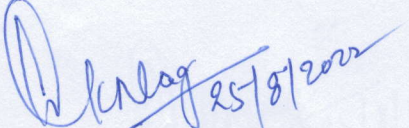
- (1) विद्यार्थी नामांकन प्रपत्र (Admission form) भरने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्रों को स्कैन (scan) कर Admission Portal पर डालना अनिवार्य है :-
 - (a) अंक पत्र (Marksheet) — 10वीं, 12वीं एवं स्नातक (U.G.)
 - (b) कॉलेज परित्याग प्रमाण पत्र (College leaving certificate)
 - (c) माईग्रेशन (Migration) (केवल अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए)
 - (d) जाति प्रमाण पत्र (Caste certificate) (If applicable)
 - (e) EWS certificate (If applicable)
 - (f) दिव्यांग (Handicapped) (If applicable)
- (2) Admission Portal पर बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जाति एवं वर्ग (Caste and Category) की सूची डाल दिया गया है। जिन विद्यार्थियों के लिए यह मान्य है वो अपने जाति एवं वर्ग (Caste and Category) को अच्छी तरह देखकर ही नामांकन प्रपत्र (Admission form) में भरें अन्यथा गलत भरने पर नामांकन प्रपत्र (Admission form) निरस्त/रद्द हो जायेगा। लोहार जाति (ST) वर्ग से हटाकर OBC के Annexure-I में डाल दिया गया है।
- (3) आवेदन प्रपत्र भरते समय विद्यार्थियों को अपनी पसंद और प्राथमिकता के आधार पर अपने विषय का कम से कम एक विश्वविद्यालय में संचालित विषय का स्नातकोत्तर विभाग तथा एक महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केन्द्र का चयन करना अनिवार्य होगा। वह विषय, जिसकी पढ़ाई विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में नहीं होती हो परन्तु महाविद्यालय के स्नातकोत्तर केन्द्रों में होती हो उस स्थिति में अपने विषय के किन्हीं दो स्नातकोत्तर केन्द्रों का चयन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी यदि चाहें तो अपने पसंद का अधिकतम केन्द्रों का भी चयन कर सकते हैं। मेधा सूची का प्रकाशन विद्यार्थियों के प्राप्तांक उनके आरक्षण की कोटि (यदि लागू हो) और उनके द्वारा चयनित विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर विभाग/महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केन्द्र में उपलब्ध सीटों के आधार पर कम्प्यूटर के द्वारा जारी किया जाता है। किसी विद्यार्थी को कौन सा महाविद्यालय आवंटित हो रहा है यह उनके द्वारा चयनित विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर

 25/8/2022

विभाग/महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केन्द्र में उनके मेधा के अनुसार उपलब्ध सीटों के आधार पर होता है और इसमें विश्वविद्यालय का कोई दखल नहीं होता है।

Admission Portal पर अपना नामांकन प्रपत्र भरते समय Log in से बाहर निकलने के पहले सभी कॉलम सही प्रकार से भरा गया है अथवा नहीं, सुनिश्चित हो लें तब ही Log out करें और यदि पुनः अपना Login ID से अपना Profile खोलते हैं तब यह भी ध्यान रहे कि जब आप अपने नामांकन Login Portal से बाहर निकते हैं तब आश्वस्त हों लें कि आपके द्वारा चयनित केन्द्रों का नाम दर्शाया हुआ हो।

- (4) Admission Portal पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर विभाग/महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केन्द्रों की सूची दी गयी है।
- (5) प्रथम मेधा सूची का प्रकाशन विद्यार्थियों के प्राप्तांक एवं उनके द्वारा वरीयता क्रम में चयनित विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों/महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केन्द्र में उपलब्ध सीटों के आधार पर होगा। प्रथम मेधा सूची का नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों/महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केन्द्रों में उपलब्ध सीटों का कोटिवार पुनः प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें वैसे विद्यार्थी जो प्रथम मेधा सूची में अपने पसंद के प्रथम वरीयता वाले स्नातकोत्तर विभाग/महाविद्यालय स्नातकोत्तर केन्द्र में स्थान नहीं प्राप्त कर सके उन सभी लोगों को स्वतः Slide-up का विकल्प देते हुए द्वितीय मेधा सूची प्रकाशन में शामिल किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों को प्रथम वरीयता वाला स्नातकोत्तर केन्द्र/महाविद्यालय स्नातकोत्तर केन्द्र आवंटित हुआ हो और वे निर्धारित तिथि के अन्दर नामांकन नहीं कराते हैं तब उनको द्वितीय तथा तृतीय मेधा सूची में नामांकन के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- (6) Admission Portal पर विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभागों/महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केन्द्रों के सभी विषयों का CUT OFF दिखता रहेगा। अतः Portal से ही विद्यार्थी अपना चयन होने का पता लगा पायेंगे।
- (7) विद्यार्थी द्वारा आवेदन में भरे गए अंक (marks) के आधार पर मैरिट लिस्ट (Merit list) तैयार किया जाता है। अगर नामांकन के समय मूल अंक पत्र से मिलान करने के समय यदि अंकों में अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में नामांकन रद्द हो जाएगा। साथ ही विद्यार्थी द्वारा आवेदन में भरे गए Caste and Category को भी आधार मान कर मेधा सूची तैयार किया जाता है। यदि नामांकन के समय मूल Caste certificate and Category से मिलान करने पर अंतर पाया जाता है तब ऐसी स्थिति में नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा।

 25/8/2022

वैसे विद्यार्थी जिनका गलत जानकारी के कारण नामांकन रद्द किया गया है उन सभी को तृतीय मेधा सूची के बाद उनके आवेदन में नामांकन पोर्टल पर संशोधन का मौका दिया जाएगा। तथा वे Spot Round में शामिल हो पाएंगे।

(8) विद्यार्थियों द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने के दौरान यदि –

- (a) पिता का नाम (Father's Name),
- (b) माता का नाम (Mother's Name)
- (c) जन्मतिथि (Date of Birth)
- (d) धर्म (Religion)

आदि में आंशिक त्रुटि पायी जाती हैं तो महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर केन्द्र विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त कर आंशिक त्रुटि का सुधार करने के बाद ही Validation करेंगे। आंशिक त्रुटि का महाविद्यालय द्वारा सुधार आवश्यक है। स्नातकोत्तर विभागों के छात्र विश्वविद्यालय के काउन्टर पर आवेदन देकर वैसी त्रुटियों का सुधार करा सकेंगे।

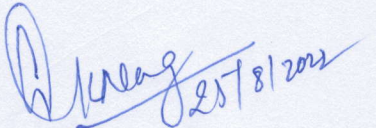
(9) विद्यार्थियों द्वारा Admission process पूरा होने के उपरान्त तत्काल महाविद्यालय नामांकित विद्यार्थियों का Admission Validate करेंगे।

(10) विश्वविद्यालय द्वारा 3 (तीन) मेधा सूची आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए निकाली जायेगी। इसके उपरान्त बचे हुए सीटों पर Spot Round का Open merit के आधार पर नामांकन होगा।

यदि कोई विद्यार्थी अपना नामांकन प्रथम, द्वितीय या तृतीय मेधा सूची में ले लेता है तो वह पुनः आगे की नामांकन प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। नामांकित विद्यार्थियों का नामांकन प्रक्रिया के दौरान (तृतीय मेधा सूची तक) नामांकन रद्द कराने का कोई विकल्प नहीं होगा।

(11) Spot Round cum Open Merit का नामांकन महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर केन्द्रों में उपलब्ध सीटों पर उन्हीं महाविद्यालयों के द्वारा किया जाएगा। विद्यार्थी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपने Log in ID से Spot Round के लिए Blank offer letter download करेंगे तथा अपने इच्छित महाविद्यालय में उसे तय समय सीमा के अन्दर जमा करेंगे। Blank offer letter में confidential number भी रहेगा जिसे विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर विभाग/महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केन्द्र आवेदकों से प्राप्त कर अपने पास रखेंगे। महाविद्यालय कंडिका 23 (a) में वर्णित प्रावधानों के अनुकूल बचे हुए सीटों पर मेधा सूची के आधार पर नामांकन करेंगे।

(12) आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के विद्यार्थियों को मिलेगा। अर्थात बिहार सरकार के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र को ही आरक्षण का आधार माना जाएगा। अन्य राज्य के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

 25/8/2022